

उत्तराखण्ड शासन
सुराज,भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग
संख्या:- 368/XLIII(I)/16-20(04)/2016
देहरादून:दिनांक 28 अप्रैल, 2016।

अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2011) की धारा-03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जन सामान्य को नियत समय-सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 1337/XXXI(13)G/2011 दिनांक 28.10.2011 में अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित सारणी में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय-सीमा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम और द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम निम्नवत् अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग

क्रमांक	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	प्रस्तुत विलेखों को निबन्धन हेतु स्वीकार किये जाने पर पंजीकृत किया जाना।	उप निबन्धक	प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उसी दिन पंजीकरण की कार्यवाही की निस्तारित किया जाना।	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
2	पंजीकृत विलेखों को पंजीकरण की कार्यवाही के पश्चात् वापस किया जाना।	उप निबन्धक	पंजीकरण की तिथि के पश्चात अगले कार्य दिवस (01 दिन) में वापस किया जाना।	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
3	अनिवार्य विवाह सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों को रजिस्ट्रीकरण हेतु स्वीकार किया जाना।	उप निबन्धक	प्रस्तुतीकरण के पश्चात उसी दिन पंजीकरण की कार्यवाही कर निस्तारित किया जाना।	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
4	अनिवार्य विवाह प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना।	उप निबन्धक	पंजीकरण की तिथि के पश्चात अगले कार्य दिवस (01 दिन) में वापस किया जाना।	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
5	मुआयना (सर्च) सम्बन्धी प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण	उप निबन्धक	प्रत्येक कार्यदिवस में प्रार्थना-पत्र निस्तारित किया जाना।	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
6	भारग्रस्त प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना।	उप निबन्धक	रजिस्ट्रेशन मैनुअल के नियम-327 के अनुसार किसी डिफ़ी धारक को किसी न्यायालय एवं न्यायाधिकरण तथा	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन

000

			राजकीय संस्थाओं द्वारा किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में भारग्रस्तता का पता लगाने हेतु निर्धारित शुल्क की धनराशि का भुगतान किये जाने पर रजिस्ट्रेशन मैनुअल के परिशिष्ट 3 के प्रपत्र 29 के अनुसार प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा। तथा नियम-334 के अनुसार बही नं0 3 व 4 के सन्दर्भ में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के प्राप्ति के अगले कार्यदिवस (01 दिन) में प्रमाणक निर्गत किया जायेगा।		
7	नकल साधारण के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाना।	उप निबन्धक	प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय खुलने के समय से प्रथम 03 घण्टे तक स्वीकार कर निस्तारित किया जाना।	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
8	नकल साधारण को वापस किया जाना।	उप निबन्धक	प्रार्थना-पत्र के प्रस्तुतीकरण की तिथि से 07 कार्यदिवसों में वापस किया जाना।	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
9	नकल आवश्यक के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाना।	उप निबन्धक	प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय खुलने के समय से प्रथम 04 घण्टे तक स्वीकार कर निस्तारित किया जाना।	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
10	नकल आवश्यक को वापस किया जाना।	उप निबन्धक	प्रार्थना-पत्र के प्रस्तुतीकरण की तिथि से 03 कार्यदिवसों में वापस किया जाना।	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
11	नकल अतिआवश्यक के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाना।	उप निबन्धक	प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय खुलने के समय से प्रथम 05 घण्टे तक स्वीकार कर निस्तारित किया जाना।	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन

12	नकल अतिआवश्यक को वापस किया जाना।	उप निबन्धक	प्रार्थना-पत्र के प्रस्तुतीकरण की तिथि से अगले कार्यदिवस में वापस किया जाना।	जिला निबन्धक	महानिरीक्षक निबन्धन
----	----------------------------------	------------	--	--------------	---------------------

2. मनोरंजन कर विभाग

क्रमांक	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	सिनेमा/मल्टीपलैक्स लाईसेंस प्रदत्त किया जाना	जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा सहायक आयुक्त मनोरंजन कर/जिला मनोरंजन कर अधिकारी)	30 दिन	जिला मजिस्ट्रेट	आयुक्त कर
2	स्थाई/अस्थाई/टूरिंग वीडियो सिनेमा लाईसेंस प्रदत्त किया जाना	जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा सहायक आयुक्त मनोरंजन कर/जिला मनोरंजन कर अधिकारी)	15 दिन	जिला मजिस्ट्रेट	आयुक्त कर
3	वीडियो लाईब्रेरी लाईसेंस प्रदत्त किया जाना	जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा सहायक आयुक्त मनोरंजन कर/जिला मनोरंजन कर अधिकारी)	07 दिन	जिला मजिस्ट्रेट	आयुक्त कर
4	ऑपरेटर लाईसेंस प्रदत्त किया जाना	जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा सहायक आयुक्त मनोरंजन कर/जिला मनोरंजन कर अधिकारी)	07 दिन	जिला मजिस्ट्रेट	आयुक्त कर
5	वीडियो युक्त वाहन लाईसेंस प्रदत्त किया जाना	जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा सहायक आयुक्त मनोरंजन कर/जिला मनोरंजन कर अधिकारी)	15 दिन	जिला मजिस्ट्रेट	आयुक्त कर
6.	रोप-वे/ हॉट एअर गैस बैलूनिंग/पेराग्लाइडिंग/मनोरंजन पार्क/ वायुयान द्वारा मनोरंजन के लिए उड़ान/रिवर राफ्टिंग अनुमति प्रदान किया जाना	जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा सहायक आयुक्त मनोरंजन कर/जिला मनोरंजन कर अधिकारी)	15 दिन	जिला मजिस्ट्रेट	आयुक्त कर
7	कौशल के खेल/जॉयण्ट व्हील (मोटर संचालित झूले)/प्रदर्शनी/ कठपुतली/स्वांग (मिमिक्री) अनुमति प्रदान किया जाना	जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा सहायक आयुक्त मनोरंजन कर/जिला मनोरंजन कर अधिकारी)	15 दिन	जिला मजिस्ट्रेट	आयुक्त कर
8	बाउलिंग ऐले/वीडियो गेम अनुमति प्रदान किया जाना	जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा सहायक आयुक्त मनोरंजन कर/जिला मनोरंजन कर अधिकारी)	07 दिन	जिला मजिस्ट्रेट	आयुक्त कर

9	केबिल टी0वी0 / डी0टी0एच0 (डाइरेक्ट टू होम) प्रसारण सेवा अनुमति प्रदान किया जाना	जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा सहायक आयुक्त मनोरंजन कर / जिला मनोरंजन कर अधिकारी)	15 दिन	जिला मजिस्ट्रेट	आयुक्त कर
10	मंच प्रदर्शन / कैबरेट / कार्निवल / अशास्त्रीय संगीत एवं नृत्य अनुमति प्रदान किया जाना	जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा सहायक आयुक्त मनोरंजन कर / जिला मनोरंजन कर अधिकारी)	05 दिन	जिला मजिस्ट्रेट	आयुक्त कर
11	घुड़दौड़ अनुमति प्रदान किया जाना	जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा सहायक आयुक्त मनोरंजन कर / जिला मनोरंजन कर अधिकारी)	15 दिन	जिला मजिस्ट्रेट	आयुक्त कर
12	अन्य आमोद जो उक्त के क्रम संख्या 1 से 11 में सम्मिलित नहीं है।	जनपद स्तरीय अधिकारी (यथा सहायक आयुक्त मनोरंजन कर / जिला मनोरंजन कर अधिकारी)	07 दिन	जिला मजिस्ट्रेट	आयुक्त कर

2. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्य दिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4. उक्त सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेगी।


आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
प्रभारी सचिव।

संख्या: 368 / XLIII(1) / 16-20(02) / 2014 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमाँयू मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से कि इसकी 1000 प्रतियां मुद्रित करा कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर।
13. गार्ड फाईल।


(अर्जित सिंह)
अनु सचिव।